



जयसिंह बनाम राजबीर सिंह 4159  
 SPJ पत्र 21  
 न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली-बहरोड  
 केस संख्या 02/2023 पुनर्दिनांक 01/08

दिनांक भाड़ा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09/23	<p>राजस्व (गुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयसिंह से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 05/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	<p>50.51                      9/10/23</p>
05/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपी० उपस्थित / अनु० पीठासीन अधिकारी अन्य मुजकर्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते 05/10/23 को पेश हो।</p>	
03/24	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपास्थित / अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी आज अवकाश / दौरे / मिटिंग / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03/24 को पेश हो।</p>	
01/3/24	<p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी रीडर कोर्ट उपस्थित नहीं है। प्रकरण का बयान/कॉन्फ्रेंस/मिडिया/शर्तों द्वारा कोर्टिनस्य न्यायालय के एडवोकेट पीठासीन मैजिस्ट्रेट से न्याय की मांगका जाहिर करते हुए मुंजिल का पत्र पेश किया गया है। कोर्टिनस्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (एडवोकेट) का स्थानान्तरण लेने से यह प्रकरण शरीर/प्रभावहीन होजायगा।</p> <p>अतः यह कोर्टिनस्य न्यायालय के एडवोकेट पीठासीन मैजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण लेने से प्रकरण प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है। कोर्टिनस्य न्यायालय को निर्णय की प्रतीति प्रेषित करके केसलु सुप्त होकर कोर्टिनस्य न्यायालय पर रहे।</p> <p style="text-align: center;">                       जिला कलक्टर                      कोटपूतली-बहरोड                 </p>	